झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली, 2002

जी॰ एस॰ आर॰ 1, दिनांक 1 जुलाई 2002-775-झारखंड गजट असाधारण अंक 205 दिनांक 1 जुलाई 2002 में प्रकाशित,-भारतीय संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ-(1) यह झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 2002 कही जायेगी।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त मानी जायेगी।

2. परिभाषाएँ.-(क) ''प्रारंभिक विद्यालय'' से अभिप्रेत है सातवें वर्ग तक के ऐसे विद्यालय जो झारखण्ड गैर-सरकारी प्रारम्भिक विद्यालय (नियंत्रण-ग्रहण) अधिनियम, 2001 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिगृहित है या खोले गये हैं,

(ख) ''प्रशिक्षित'' से अभिप्रेत है वैसे व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से निम्न प्रशिक्षण प्राप्त और उत्तीर्ण हों-

(i) दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण, अथवा

(ii) बी॰ एड॰/डिप इन एड/डीप इन टीच

(iii) सी॰ पी॰ एड/डिप॰ पी॰ एड

3. चयनित शिक्षकों का पदस्थापन चिह्नित सृजित पदों पर करने हेतु जिला शिक्षा स्थापना समिति निम्न प्रकार गठित होगी-

(क) जिलाधिकारी/उपायुक्त	अध्यक्ष
(ख) उप विकास आयुक्त	सदस्य
(ग) जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य
(घ) जिला विद्यालय निरीक्षिका	सदस्य
(च) जिला कल्याण पदाधिकारी	सदस्य
(छ) जिला शिक्षा अधीक्षक	सदस्य सचिव

4. झारखण्ड लोकसेवा आयोग के द्वारा जिलावार चिह्नित रिक्तियों के आधार पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर, निम्न अर्हता धारक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें:

(क) जो भारत का नागरिक हो,

(ख) जो मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो,

(ग) जो नियम 2 (ख) में उल्लिखित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो,

परन्तु, परिस्थिति विशेष में अप्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिये, भी अलग से परीक्षा आयोजित की जा सकेगी, तथा ऐसे सफल उम्मीदवारों को प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही, शिक्षक के पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसे अप्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दौरान मात्र छात्रवृत्ति दी जायेगी, जो मैट्रिक अप्रशिक्षित वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के बराबर होगी। प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा करायी जायेगी। प्रशिक्षण के बाद सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान में मात्र तीन वर्षों की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा संविदा के आधार पर की जा सकेगी।

(घ) जिस पंचाङ्ग वर्ष में विज्ञापन निकाली जायेगी, उस वर्ष की पहली जुलाई को उम्मीदवार की आयु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत होगी, किन्तु इस नियमावली को प्रवृंत होने के बाद मात्र प्रथम नियुक्ति वर्ष में पूर्व प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिये सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा की शर्त को राज्य सरकार द्वारा क्षान्त किया जा सकेगा।

This is for Govt Schools too

5. परीक्षा शुल्क-(क) प्रारंभिक जांच परीक्षा के लिए उम्मीदवारों से 50 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जायेगा परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा शुल्क 20 रुपये होगा।

(ख) मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों से 100 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जायेगा परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये होगा। शुल्क सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पदनाम से क्रॉस पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय होगा।

6. उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ नियम 5 के अनुरूप शुल्क निर्धारित तिथि के भीतर निबंधित डाक से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकेगा तथा परीक्षा शुल्क जप्त किया जा सकेगा।

7. परीक्षा का आयोजन-(क) परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ख) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षक/निविक्षकों तथा अन्य के पारिश्रमिक का भुगतान झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप किया जायेगा।

(ग) परीक्षा केन्द्रों का चयन एवं अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाऐं उपायुक्त द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के निदेशन एवं मार्गदर्शन के अधीन की जायेगी।

8. परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी-

(क) प्रारंभिक जाँच परीक्षा-

(i) यह दो घंटों की होगी

(ii) सामान्य ज्ञान (मैट्रिक स्तर का या समतुल्य) का एक प्रश्न पत्र-100 अंकों का वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा।

(iii) प्रत्येक जिला के सामान्य श्रेणी एवं प्रत्येक आरक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध रिक्तियों के तीन गुणा की संख्या में उम्मीदवारों के चयन अद्यतन आरक्षण नियमों के अनुसार प्रारंभिक जांच परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु किया जायेगा, परन्तु यदि किसी मामले में इस प्रकार प्राप्त अंतिम उम्मीदवार के प्राप्तांक उसके तुरन्त बाद वाले उम्मीदवार/उम्मीदवारों के बराबर हो तो उन सभी उम्मीदवार/उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु चयन किया जायेगा, परन्तु यह कि किसी भी परिस्थिति में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 40 से कम नहीं होगा, परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 30 से कम नहीं होगा।

(ख) मुख्य परीक्षा-मुख्य परीक्षा 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र 100 अंकों का तथा विषयनिष्ठ होगा जिसमें निम्न विषय होंगे-

1. भाषा (माध्यमिक परीक्षा के लिये मान्य मातृभाषा)	30 अंक
2. गणित	35 अंक
3. इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं भूगोल	35 अंक
	कुल 100 अंक

(ग) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्णता के लिये किसी भी हालत में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये उत्तीर्णता का प्राप्तांक 30 अंकों से कम नहीं होगा।

(घ) मान्यता प्राप्त संस्थानों से पूर्व से प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिये परीक्षा का स्तर मिडिल स्तर

का होगा। यह मात्र एक अवसरीय (one time) सुविधा होगी जिसे एक परीक्षा के बाद समाप्त समझा जायेगा। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाएँ एक ही दिन दो अलग-अलग पालियों में आयोजित की जा सकेगी।

प्रारंभिक परीक्षा दो घंटे की होगी जिसमें सामान्य ज्ञान की परीक्षा ली जायेगी, जो मिडिल स्तर की होगी। इसके लिए पूर्णांक 100 होगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो उम्मीदवार 40 या उससे अधिक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार 30 या उससे अधिक अंक पायेंगे, उनकी ही मुख्य परीक्षा से संबंधित मोहरबन्द उत्तर पुस्तिकायें खोली जायेगी तथा उनकी जाँच की जायेगी।

मुख्य परीक्षा तीन घंटों की तथा 100 अंकों की एवं विषयनिष्ठ होगी, जिसमें निम्न विषयों में परीक्षा ली जायेगी:

(i) भाषा (माध्यमिक परीक्षा के लिये मान्य मातृभाषा)	30 अंक
(ii) गणित (मिडिल स्तर का)	35 अंक
(iii) इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं भूगोल (मिडिल स्तर का)	35 अंक
	कुल 100 अंक

जिन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में 40 या उससे अधिक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जिन उम्मीदवारों को 30 या उससे अधिक अंक प्राप्त होगा, उन्हें ही सहायक शिक्षक के पद पर उनकी अधिमानता के अनुसार नियुक्त करने हेतु अधिमानता सूची का निर्माण किया जा सकेगा।

9. (क) इस नियमावली के नियम-8 (ख) के अन्तर्गत ली गई मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक जिला के लिए अलग-अलग अद्यतन आरक्षण रोस्टर/नियमों के अनुसार रिक्तियों की संख्या 5 प्रतिशत अधिक उम्मीदवारों की जिलावार योग्यता सूची नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की जायेगी तथा इसकी प्रति निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध करायी जायेगी। यह सूची निदेशालय में प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगी।

(ख) राज्य सरकार प्राप्त योग्यता सूची के आधार पर सभी प्रकार की रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकेगी तथा पदस्थापन हेतु जिलावार सूची संबंधित जिला स्थापना के अध्यक्ष को उपलब्ध करायेगी।

(ग) संबंधित जिला शिक्षा स्थापना समिति उप नियम (ख) के अनुरूप सूची प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र पदस्थापन करेगी तथा संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे।

10. इस नियमावली के अन्तर्गत होनेवाली सभी प्रकार की नियुक्ति में झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा एवं उसी आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत किये जा सकेंगे।

11. उच्चतर योग्यताधारी उम्मीदवारों की भी नियुक्ति मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान में ही की जायेगी।

12. किसी एक जिले की रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त शिक्षक का किसी अन्य जिले की रिक्ति के विरुद्ध पदस्थापन का अधिकार नहीं रहेगा।

13. यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में किसी कठिनाई की संभावना बनती है तो राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी जो आवश्यक प्रतीत हो।

14. राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि यथा आवश्यक निश्चित समयावधि के लिये संविदा आधारित (contractual) नियुक्ति कर सके, परंतु उसमें भी झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित आरक्षण नियमों का पालन करना अनिर्वाय होगा।

15. यह नियमावली, पंचायती राज का चुनाव हो जाने तथा शिक्षकों का नियंत्रण पंचायतों को सौंपे जाने एवं तद्नुरूप पंचायत एवं नगरपालिका क्षेत्रों में संविदाशाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) नियमावली लागू किये जाने तक ही प्रभावी होगा।

16. इस नियमावली के प्रभावित होने के बाद बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
ज्ञानदीप परिसर, बरगावाँ,
नामकुम, राँची 834010

जिला सम्वर्ग अन्तर्गत प्रारंम्भिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू शिक्षक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञप्ति सख्या 27 / 2011

मानव संसाधन विकास विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के पत्रांक 657 दिनांक 16.03.2011 एवं पत्रांक 677 दिनांक 17.03.2011 के आलोक में राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जिलावार एवं कोटिवार अधियाचित निम्नांकित पदों के विरूद्ध निम्नांकित योग्यता एवं अर्हत्ता धारक अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 15.04.2011 तक आमंत्रित किये जाते हैं–

(क) जिलावार उर्दू सहायक शिक्षकों की रिक्तियों की समेकित विवरणी –

क्रमांक	जिला का नाम	कुल रिक्त पद	आरक्षण के अनुरूप कोटिवार रिक्ति की संख्या					अभ्युक्ति
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राँची	399	200	20	147	20	12	
2	खूँटी	27	14	1	12	0	0	
3	लोहरदगा	107	54	3	50	0	0	
4	गुमला	52	26	1	25	0	0	
5	सिमडेगा	60	30	4	26	0	0	
6	पू० सिंहभूम	398	199	16	111	40	32	
7	सरायकेला–खरसावां	174	87	9	66	7	5	
8	प० सिंहभूम	294	147	12	135	0	0	
9	पलामू	192	96	52	15	17	12	
10	लातेहार	135	68	27	40	0	0	
11	गढ़वा	327	164	75	49	23	16	
12	हजारीबाग	308	154	64	12	44	34	
13	रामगढ़	145	73	16	29	16	11	
14	कोडरमा	100	50	18	8	14	10	
15	चतरा	153	77	27	12	21	16	
16	गिरिडीह	300	150	39	36	42	33	
17	धनबाद	224	112	34	18	33	27	
18	बोकारो	252	126	33	30	36	27	
19	दुमका	53	27	2	24	0	0	
20	जामताड़ा	60	30	6	19	3	2	
21	साहेबगंज	177	89	9	67	7	5	
22	पाकुड़	160	80	8	61	6	5	
23	गोड्डा	202	101	16	51	20	14	
24	देवघर	102	51	12	12	16	11	

कुल	4401	2205	504	1055	365	272	

(ख) जिलावार सहायक शिक्षकों की रिक्तियों की समेकित विवरणी –

क्रमांक	जिला का नाम	कुल रिक्त पद	आरक्षण के अनुरूप कोटिवार रिक्ति की संख्या					अभ्युक्ति
			अना०	अनु०जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राँची	848	81	71	628	43	25	
2	खूँटी	289	131	12	146	0	0	
3	लोहरदगा	201	100	6	95	0	0	
4	गुमला	496	248	15	233	0	0	
5	सिमडेगा	331	248	51	32	0	0	
6	पू० सिंहभूम	827	794	15	18	0	0	
7	सरायकेला–खरसवाँ	754	222	433	61	18	20	
8	प० सिंहभूम	948	291	59	598	0	0	
9	पलामू	759	326	252	78	62	41	
10	गढ़वा	531	244	111	101	43	32	
11	लातेहार	380	190	80	110	0	0	
12	हजारीबाग	533	266	111	21	76	59	
13	रामगढ़	247	124	50	26	27	20	
14	कोडरमा	228	114	41	18	32	23	
15	चतरा	382	111	107	22	83	59	
16	गिरिडीह	911	383	162	132	131	103	
17	धनबाद	1054	527	158	84	158	127	
18	बोकारो	603	302	78	72	85	66	
19	दुमका	770	377	43	350	0	0	
20	जामताड़ा	559	279	51	179	28	22	
21	साहेबगंज	388	83	10	282	8	5	
22	पाकुड़	381	191	19	144	15	12	
23	गोड्डा	580	290	46	146	58	40	
24	देवघर	807	335	125	124	129	94	
कुल		13807	6257	2106	3700	996	748	

मुख्य परीक्षा – मुख्य परीक्षा 03 घंटे तक एक पाली की होगी एवं यह परीक्षा माध्यमिक/मैट्रिक या इसके समकक्ष की होगी इसके अन्तर्गत **300 अंकों की** निम्नवत् 03 विषयों के प्रश्न पत्र होंगे –

(1) भाषा – 100 अंक

(क) सामान्य शिक्षक– हिन्दी एवं अंग्रेजी

(ख) उर्दू शिक्षक – उर्दू एवं अंग्रेजी

(2) सामाजिक विज्ञान – 100 अंक

(3) सामान्य विज्ञान – 100 अंक

कुल– 300 अंक

प्रत्येक विषय में 50: अंकों हेतु वस्तुनिष्ठ एवं 50: विषयनिष्ठ प्रश्न होगें। सामाजिक विज्ञान एवं सामान्य विज्ञान की परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा। परन्तु उर्दू शिक्षकों हेतु यह माध्यम उर्दू अथवा अंग्रेजी होगा। मुख्य परीक्षा के तीनों विषयों में अभ्यर्थियों को कुल योग के रूप में 40: अंक प्राप्त अनिवार्य होगा। परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये यह 35: होगा। **मुख्य परीक्षा के अर्न्तगत तीनों विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य सूची तैयार की जायेगी, जो शिक्षक के पद पर नियुक्ति का आधार होगा।**

परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों को 350/–रुपये परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का यह राशि 175/–रुपये की होगी।

सामान्य निर्देश – (1) मान्यता प्राप्त/ प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थी से अभिप्राय यह है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 17.8.95 के पूर्व जिस प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं, वह प्रशिक्षण संस्थान सम्बन्धित राज्य सरकार/या केन्द्र सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों और वे पॅब्लिक परीक्षा उत्तीर्ण किये हों तथा ऐसे अभ्यर्थी जो 17.8.95 के बाद जिस प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं, वह संस्थान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त हो और प्रशिक्षण की पॅब्लिक परीक्षा उत्तीर्ण किये हों।

(2) शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी उक्त दोनों पदों के लिये योग्य नहीं है। अतः वे आवेदन नहीं कर सकते हैं।

(3) कोई भी अभ्यर्थी किसी एक ही जिला के रिक्ति के विरूद्ध आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी जिस जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध आवेदन करेंगे, वही उनका जिला विकल्प होगा तथा उससे हटकर कोई दूसरे जिला की रिक्ति के विरूद्ध दावा नहीं कर सकेंगे। भले ही, दूसरे जिला के चयनित अभ्यर्थी उनसे कम अंक प्राप्त किए हों।

(4) आवेदन विहित प्रपत्र में A4 Size पेपर पर कम्प्यूटर द्वारा टंकित होना आवश्यक है। आवेदन परिषद के बेवसाइट ू्रवंबण्दपबण्पद से डाउन लोड किया जा सकता है।

(5) आवेदन के सभी कॉलम अंग्रेजी भाषा में भरे जायेंगे।

(6) आवेदन स्पीड पोस्ट से निम्न पते पर भेजे जायेंगे–

सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, ज्ञानदीप परिसर, बरगावां, नामकुम, राँची–834010

आवेदन करने के क्रम में अभ्यर्थी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन निर्धारित तिथि तक परिषद कार्यालय को अवश्य प्राप्त हो जाय। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन प्राप्त होने पर उसे अमान्य कर दिया जायेगा। स्पीड पोस्ट के अलावे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जाएँगे।

(7) आवेदन के साथ परीक्षा शुल्क के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो "झारखण्ड अधिविद्य परिषद फण्ड" को देय एवं राँची में भुगतेय होगा, संलग्न किया जायेगा।

(8) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र आदि स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जायेंगे उस लिफाफे के उपर विज्ञप्ति संख्या के साथ सहायक शिक्षक अथवा उर्दू सहायक शिक्षक में से किसी एक पद का अंकन लाल स्याही से करना अनिवार्य होगा।

जिलावार उपर्युक्त रिक्तियों में से 50 पद सर्व शिक्षा अभियान के तहत दो वर्षों तक अटूट सेवा कर रहे एवं **सभी कोटि के अधिकतम 50 वर्ष की आयु वाले पारा शिक्षक/ सामुदायिक शिक्षक** हेतु आरक्षित रहेंगे। परन्तु, उन 50 पदों पर भी राज्य सरकार की निर्धारित आरक्षण नीति लागू होगा।

वांछित अर्हत्ता एवं योग्यता –

(क) जो भारत के नागरिक हों।

(ख) जो उच्चतर माध्यमिक (+2) परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा इन्टरमीडिएट प्रमाण पत्र धारक या उसके समकक्ष हो।

(ग) मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्था से निम्न प्रशिक्षण प्राप्त एवं उत्तीर्ण हो

(1) द्विवर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष प्रशिक्षण की योग्यता

या

(2) प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक ;ठण्म्स्ण्म्कद्ध

या

(3) बी०एड०

वैसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित शिक्षक प्रशिक्षण का सत्र पूरा कर लिये हों तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होनेवाली परीक्षा के लिये आवेदन भर सकते हैं एवं शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु परिषद द्वारा आयोजित होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षा मे सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थी का प्रशिक्षण परीक्षाफल परिषद द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की प्रतियोगिता परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व **परिषद द्वारा निर्धारित समय सीमा तक** समर्पित करना आवश्यक होगा, तत्पश्चात् ही परिषद द्वारा उनकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी जा सकेगी।

आयु सीमा– दिनांक 01.07.2011 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु कोटिवार निम्न रूपेण होगा–

क्रमांक	कोटि	वर्ष	विकलांग हेतु
1	सामान्य कोटि	40 वर्ष	45 वर्ष
2	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	43 वर्ष	48 वर्ष
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	42 वर्ष	47 वर्ष
4	अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष
5	अनसुचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष

राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में उपर्युक्त रिक्त पदों के विरूद्ध अभ्यर्थियों क चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा निम्न दो चरणों में ली जायेगी –

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

प्रारम्भिक परीक्षा – प्रारम्भिक परीक्षा दो घंटे की होगी और निम्नांकित दो विषयों में ली जायेगी –

(1) सामान्य ज्ञान – 50 अंक

(2) जनजातीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा – 50 अंक

सामान्य ज्ञान की परीक्षा के स्तर माध्यमिक/ मैट्रिक या इसके समकक्ष होगा। क्षेत्रीय/ जनजातीय भाषा की परीक्षा में अभ्यर्थी के उस भाषा में पढ़ने–लिखने एवं बोलने की क्षमता का आकलन किया जायेगा।

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत जिलावार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की सूची निम्नवत् है –

क्र०सं०	जिला का नाम	जनजातीय भाषा	क्षेत्रीय भाषा
1	2	3	4
1	राँची एवं खूँटी	कुडुख, खड़िया, मुण्डारी	नागपुरी/पंचपरगनिया,कुरमाली/बंगला
2	लोहरदगा	कुडुख	नागपुरी
3	गुमला	कुडुख, खडिया, असुर, बिरहोर	नागपुरी
4	सिमडेगा	खड़िया, मुण्डारी, कुडुख	नागपुरी
5	प० सिंहभूम	हो, भूमिज, मुण्डारी, कुडुख	कुरमाली, उड़िया
6	पूर्वी सिंहभूम	मुण्डारी, हो, भूमिज, संथाली, कुडुख	कुरमाली, बंगला, उड़िया
7	सरायकेला–खरसवां	संथाली, मुण्डारी, भूमिज, हो	पंचपरगनिया, उड़िया, बंगला
8	लातेहार	कुडुख, असुर	नागपुरी, मगही, भोजपुरी
9	पलामू	कुडुख, असुर	नागपुरी, मगही, भोजपुरी
10	गढ़वा	कुडुख	नागपुरी, मगही, भोजपुरी
11	दुमका	संथाली, माल्तो	खोरठा, बंगला, अंगिका
12	जामताड़ा	संथाली	खोरठा, बंगला, अंगिका
13	साहेबगंज	संथाली, माल्तो	खोरठा, बंगला, अंगिका
14	पाकुड़	संथाली, माल्तो	खोरठा, बंगला, अंगिका
15	गोड्डा	संथाली, माल्तो	खोरठा, अंगिका
16	हजारीबाग एवं रामगढ़	संथाली, कुडुख, बिरहोर	नागपुरी, कुरमाली, खोरठा
17	कोडरमा	संथाली	कुरमाली, खोरठा
18	चतरा	संथाली, कुडुख, मुण्डारी, बिरहोर	नागपुरी, खोरठा
19	बोकारो	संथाली	नागपुरी, कुरमाली, खोरठा
20	धनबाद	संथाली	नागपुरी, खोरठा, कुरमाली
21	गिरिडीह	संथाली	खोरठा, कुरमाली
22	देवघर	संथाली	खोरठा, अंगिका

(1) अभ्यर्थी जिस जिला की रिक्ति के विरूद्ध आवेदन करेंगे, उन्हें उस जिला के लिये विहित जनजातीय अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक भाषा को परीक्षा के लिये चयन करना होगा और वे उसी क्षेत्रीय/ जनजातीय भाषा की परीक्षा देंगे।

(2) ऐसे क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जिनका अपना लिपि नहीं है, उनकी लिपि देवनागरी लिपि होगी

(3) प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र बहु–विकल्पीय एवं क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा का प्रश्न पत्र विषयनिष्ठ प्रकार का होगा।

(4) प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर प्रत्येक जिला के सामान्य श्रेणी एवं प्रत्येक आरक्षित वर्ग के लिये उपलब्ध रिक्तियों के तीन गुणा की संख्या में उम्मीदवारों के चयन आरक्षण नियम के अनुसार मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु किया जायेगा। परन्तु, यदि किसी मामले में इस प्रकार प्राप्त अंतिम उम्मीदवार के प्राप्तांक उसके तुरंत बादवाले उम्मीदवारों के बराबर हो तो उन सभी उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु चयन किया जायेगा।

(5) किसी भी परिस्थिति में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये सामान्य ज्ञान एवं क्षेत्रीय/ जनजातीय भाषा दोनों विषयों में प्रत्येक विषय के लिये अलग–अलग 35 अंक मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनिवार्य होगा। परन्तु, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये न्यूनतम 30 अंक प्रत्येक विषय में अलग–अलग प्राप्त करना अनिवार्य होगा।